न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 216

तारीख 30.5.22

वीरेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज)

प्रार्थी

बनाम

01. संतोष देवी पत्नि छगनलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. प्रभू पुत्र किशना जाति बेरवा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भवाना पुत्र भोज्या जाति बेरवा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. गोपाललाल पुत्र होक्मा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी आडाखाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. जोधा पुत्र नन्दा जाति बेरवा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक: 30.5.22

प्रार्थना पत्र **वीरेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 283 पर अंकित आराजी संख्या 1087/309 रकबा 1.0522 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्ष **सलावटिया** को पत्थरगढी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 283 पर अंकित आराजी संख्या 1087/309 रकबा 1.0522 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ